

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त विभाग  
सं० 145/XXVII(8)/वाणि० कर (वैट)/ 2007  
दिनांक: देहरादून: फरवरी: 21, /2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है:-

अतएव, अब, उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) संपठित उत्तरप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (समय-समय पर यथा संशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 1 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्-

संशोधन

"1. पशुओं द्वारा चालित गाड़ी तथा इस अधिनियम की किसी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित कृषि उपकरणों के अन्यथा मनुष्य या पशु या ट्रैक्टर द्वारा चालित कृषि उपकरण।"

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव, निरा।

सं० 145/XXVII(8)/वाणिज्य कर(वैट)/2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सन्मन्थित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, ऋडकी को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ लिखित अनुभाग 8 में आविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाईल हेतु।

अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही कर

अपर आयुक्त कर  
उत्तरांचल देहरादून

8840

23-2-08

आज्ञा से,

(सी०एस०सेनवाल)  
अपर सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 145/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2007 dated 21 February, 2008 for general information.

Government of Uttarakhand  
VITA VIBHAG  
NO. 145/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2007  
Dehradun :: Dated : 21, February, 2008

Notification


WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order 2007, (Act No. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as amended from time to time and as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor, is pleased to substitute, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following entry in place of the existing entry at serial no. 1 of Schedule-I of The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005, namely-

Amendment

"1. Cart driven by animal and agricultural implements other than those mentioned in any other Schedule of this Act. manually operated or animal driven or tractor driven."

By Order,

  
(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY, FINANCE